रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 49] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

## भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

## संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

**सं. भा.आ.प.-34(41)/2018-मेड./170039.**—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड,"मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" में पुन: संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत:-

1. (i) इन विनियमों को "मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली (संशोधन) 2019" कहा जाएगा।

(ii) ये संशोधन शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए लागू होंगे, जो सार्वजनिक हित में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ होंगे और किसी भी व्यक्ति का हित इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

2. खंड 8 में "अनुमति प्रदान करना", उप-खंड 3 **(1)** में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

परंतु यह कि नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति प्रदान करने या वर्तमान मेडिकल कॉलेज की अनुमति के नवीकरण/मान्यता के उद्देश्यों के लिए निरीक्षण, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा घोषित महत्वपूर्ण धार्मिक और त्यौहारों की छुटिटयों से कम से कम दो दिन पहले और दो दिन पश्चात नहीं किया जाएगा।

3. खंड 8 में "अनुमति प्रदान करना", में "नवीकरण (अर्थात तीसरे बैच के दाखिले) के चरण में कॉलेज" शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड 3**(1)**(क) को, निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(क) II नवीकरण (अर्थात तीसरे बैच के दाखिले) तक अनुमति पत्र के चरण में कॉलेज

यदि संस्थान के निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन संकाय और/ या रेजिडेंटों की कमी 30 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 50 प्रतिशत से कम (पूर्वोत्तर, पर्वतीय क्षेत्र आदि में 45

प्रतिशत) है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति पत्र (एलओपी) जारी किए जाने/अनुमति के नवीकरण के लिए उस संस्थान से कमियों में सुधार के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि उपर्युक्त खंड लागू करने से पहले, संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उसके विरूद्ध, ऊपर उल्लिखित खंड में दिए गए दण्डात्मक उपबंध क्यों लागू न किए जाए और इसका निपटान, एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।

4. खंड 8 में"एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए संस्थान की मान्यता तक **III** नवीकरण (अर्थात चौथे बैच के दाखिले) से चरण में कॉलेज" शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड (3)(1)(ख) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(ख) **III** और **IV** नवीकरण (अर्थात चौथे एवं पांचवें बैच के दाखिले) के चरण में कॉलेज

यदि संस्थान के किसी निरीक्षण के दौरान यह अवलोकन किया जाता है कि अध्यापन संकाय और/या रेजिडेंटों की कमी 20 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 65 प्रतिशतसे कम है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के लिए उस संस्थान से सुधार के अुनपालन पर विचार नहीं किया जाएगा।

परंतु यह कि उपर्युक्त खंड लागू करने से पहले, संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उसके विरूद्ध, ऊपर उल्लिखित खंड में दिए गए दण्डात्मक उपबंध क्यों लागू न किए जाए और इसका निपटान, एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।

5. खंड 8 में"ऐसे कॉलेज, जो एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए पहले ही मान्यताप्राप्त हैं और/या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं" शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड 8(3)(1)(ग) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(ग) ऐसे कॉलेज, जो एमबीबीएस डिग्री प्रदान करने के लिए पहले ही मान्यताप्राप्त हैं और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

यदि संस्थान के किसी निरीक्षण/मूल्यांकन के दौरान यह अवलोकन किया गया है कि अध्यापन संकाय और/या रेजिडेंटों की कमी 10 प्रतिशत से अधिक है और/या बिस्तर अधिभोग 70 प्रतिशतसे कम है तो उस शैक्षिक वर्ष में अनुमति के नवीकरण के मुद्दे के लिए उस संस्थान से कमी के सुधार के अनुपालन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसके अलावा उस शैक्षिक वर्ष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदनपत्र प्रोसेस करने हेतु विचार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा कि मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले रोकने के निर्देश के साथ-साथ उस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे उन स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956की धारा 11(2) के अंतर्गत मान्यतप्राप्त हैं, की मान्यता वापस लेने के लिए सिफारिश की जाए।

परंतु यह कि उपर्युक्त खंड लागू करने से पहले, संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि उसके विरूद्ध, ऊपर उल्लिखित खंड में दिए गए दण्डात्मक उपबंध क्यों लागू न किए जाए और इसका निपटान, एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात किया जाएगा।

6. खंड 8 में "कॉलेज, जो नकली/जाली दस्तावेजों वाले अध्यापक नियुक्त करने वाले पाए गए हैं" शीर्षक के अंतर्गत उप खंड 8(3)(1)(घ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

(घ) ऐसे कॉलेज, जो नकली/जाली दस्तावेजों वाले अध्यापक नियुक्त करने वाले पाए गए हैं :

यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्थान ने नकली/जाली दस्तावेजों वाला/वाले अध्यापक नियुक्त किया/किए हैं और ऐसे किसी अध्यापक(कों) के घोषणापत्र प्रस्तुत किए हैं तो ऐसे किसी संस्थान पर, अनुमति के नवीकरण और उस शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का आवेदनपत्र प्रोसेस करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त उपबंध, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात, नैतिकता उप-समिति द्वारा यह व्यवस्था देने के पश्चात कि संबंधित मेडिकल कॉलेज के मेडिकल संकाय सदस्य/डीन/विभागाध्यक्ष ने, मिथ्या/गलत घोषणापत्र प्रस्तुत करके कदाचार किया है, लागू किया जाएगा।"

डॉ. संजय श्रीवास्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./527/18]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामत: "मेडिकलकॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98- मेड. के अंतर्गत 28 अगस्त, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30.07.1999, 07.10.1999, 29.07.2008, 26.08.2009, 22.10.2009, 26.02.2010, 16.04.2010, 26.09.2011, 01.06.2012, 30.08.2012, 21.09.2012, 18.03.2014, 28.10.2013, 16.10.2015,29.12.2015, 02.02.2016, 05.02.2016, 18.03.2016,17.01.2017, 01.06.2017 और 03.07.2018 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

## BOARD OF GOVERNORS

## IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

**No. MCI-34(41)/2018-Med./170039**.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Board of Governors in super-session of Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations(Amendment), 2019".

   (ii) These amendments shall be applicable for the applications received for the academic year 2019-20 onwards with retrospective effect in public interest and interest of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

2. In clause 8 "Grant of Permission", sub–clause 3(1) following shall be added:

   Provided that inspection for the purposes of grant of permission for Establishment of New Medical College or Renewal of Permission/Recognition of existing Medical College shall not be conducted at least two days before and two days after important religious and festival holidays declared by the Central/State Government.

3. In Clause 8 "Grant of Permission", sub–clause 3(1)(a) under the heading of "Colleges in the stage up to II renewal (i.e. Admission of third batch)"shall be substituted as under :-

   (a) **Colleges in the stage of Letter of Permission up to II renewal (i.e. Admission of third batch)**

   If it is observed during any inspection/assessment of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 30% and/or bed occupancy is less than 50% (45% in North East, Hilly terrain, etc.), compliance of rectification of deficiencies from such an institute will not be considered for issue of Letter of Permission (LOP)/renewal of permission in that Academic Year.

   Provided that prior to applying the above clause, a show-cause notice shall be issued to the Institute seeking an explanation as to why the punitive provisions contained in above-mentioned clause should not be applied against it and the same shall be disposed off after granting an opportunity of hearing by a reasoned order.

4. In Clause 8 "Grant of Permission", sub clause (3)(1)(b) under the heading of "Colleges in the stage from III renewal (i.e. Admission of fourth batch) till recognition of the institute for award of M.B.B.S. degree" shall be substituted as under :-

(b) **Colleges in the stage of III & IV renewal (i.e. Admission of fourth & fifth batch)**

If it is observed during any inspection of the Institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 20% and/or bed occupancy is less than 65%, compliance of rectification of deficiencies from such an institute will not be considered for renewal of permission in that Academic Year.

Provided that prior to applying the above clause, a show-cause notice shall be issued to the Institute seeking an explanation as to why the punitive provisions contained in above-mentioned clause should not be applied against it and the same shall be disposed off after granting an opportunity of hearing by a reasoned order.

5. In Clause 8 "Grant of Permission", sub clause (3)(1)(c) under the heading of "Colleges which are already recognized for award of M.B.B.S. degree and/or running Postgraduate courses" shall be substituted as:-

(c) **Colleges which are already recognized for award of M.B.B.S. degree and/or running Postgraduate courses:**

If it is observed during any inspection/assessment of the institute that the deficiency of teaching faculty and/or Residents is more than 10% and/or bed occupancy is less than 70%, compliance of rectification of deficiency from such an institute will not be considered for issue of renewal of permission in that Academic Year and further such an institute will not be considered for processing applications for Postgraduate courses in that Academic Year and will be issued show cause notices as to why the recommendations for withdrawal of recognition of the courses run by that institute should not be made for undergraduate and postgraduate courses which are recognized u/s 11(2) of the IMC Act, 1956 along with direction of stoppage of admissions in permitted postgraduate courses.

Provided that prior to applying the above clause, a show-cause notice shall be issued to the Institute seeking an explanation as to why the punitive provisions contained in above-mentioned clause should not be applied against it and the same shall be disposed off after granting an opportunity of hearing by a reasoned order.

6. In Clause 8 "Grant of Permission", sub-clause (3)(1)(d) under the heading of "Colleges which are found to have employed teachers with faked/forged documents", shall be substituted as under:-

(d) **Colleges which are found to have employed teachers with faked/forged documents:**

If it is found that any institution has employed a teacher(s) with faked/forged documents and have submitted the Declaration Form of such a teacher(s), such an Institute will not be considered for renewal of permission and processing of application of postgraduate courses for that Academic Year.

The above provision shall be applied / invoked after the Ethics Sub-Committee has held after providing an opportunity of hearing that the medical faculty / Dean / Head of Department of the concerned medical college have committed misconduct by submitting false / wrong declaration.

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General

[ADVT.-III/4/Exty./527/18]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999, were published in Part-III, Section (4) extraordinary of the Gazette of India on the 28th August, 1999, vide Medical Council of India notification No. 34(41)/98-Med. and amended vide notification dated 30/07/1999, 07/10/1999, 29/07/2008, 26/08/2009, 22/10/2009, 26/02/2010, 16/04/2010, 26/09/2011, 01/06/2012, 30/08/2012, 21/09/2012, 18/03/2014, 28/10/2013, 16/10/2015, 29/12/2015, 02/02/2016, 05/02/2016, 18/03/2016, 17/01/2017, 01/06/2017 & 03/07/2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.02.07 14:12:09 +05'30'